I/89862/2023

संख्या–89862/xxvii(6)ई 46362/2023

प्रेषक,

एस0एन0 पाण्डे,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 10 जनवरी, 2023।

विषय–कोषागारों के कार्य संचालन विषयक कोषागार मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 एवं आई0एफ0एम0एस0 से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 में कोषागारों पर नियंत्रण हेतु सामान्य प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें कोषागारों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, सुगम एवं शुचितापूर्ण बनाये जाने हेतु कोषाधिकारियों (वरिष्ठ कोषाधिकारियों) के कर्तव्यों एवं दायित्वों के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार के अन्तर्गत कोषागारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। इस कारण कोषाधिकारियों (वरिष्ठ कोषाधिकारियों) की भूमिका एवं दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील हो जाती है। कोषागारों के स्ट्रांग रूप (डबल लॉक) में अतिमहत्वपूर्ण अमानती एवं बहुमूल्य सामग्री के साथ ही साथ, समय–समय पर आयोजित होने वाली राजकीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें भी सुरक्षा की दृष्टि से रखी जाती है। इसके दृष्टिगत स्ट्रांग रूप की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी कोषाधिकारी (वरिष्ठ कोषाधिकारी) को दी गयी है।

2– उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं समस्त कोषागारों/उपकोषागारों में IFMSके माध्यम से भुगतान की ऑनलाईन प्रणाली को लागू किया गया है। इस प्रणाली को त्रुटिहीन बनाये जाने के उददेश्य से शासनादेश संख्या–129, दिनांक 29.03.2019, 130, दिनांक 29.03.2019, 131, दिनांक 29.03.2019 एवं संख्या–132, दिनांक 29.03.2019 द्वारा मेकर (ऑपरेटर), चेकर (सुपरवाइजर) एवं अप्रूवर (ऑफिसर) की भूमिका अलग–अलग कार्मिकों को प्रदान करते हुए व्यापक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस हेतु संबंधित कार्मिकों को अलग–अलग आई0डी0 एवं पासवर्ड प्रदान किया जाता है, जिससे कि भुगतान प्रक्रिया पर पर्याप्त नियंत्रण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके।

3– उक्तानुसार कोषागारों की कार्य प्रणाली को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाये जाने के बावजूद, यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय कोषाधिकारियों (वरिष्ठ कोषाधिकारियों) द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा आई0एफ0एम0एस0 के संबंध में जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कोषाधिकारियों द्वारा स्ट्रांग रूम की चाबी (Key) की सुरक्षा का ध्यान नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन प्रणाली के अन्तर्गत अप्रूवर (ऑफिसर) अपनी भूमिका का निर्वहन स्वयं न करते हुए आई0डी0 एवं पासवर्ड अन्य कार्मिकों को प्रदान कर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्य प्रणाली कोषाधिकारियों (वरिष्ठ कोषाधिकारियों) के कर्तव्य एवं दायित्वों के उल्लंघन का द्योतक है।

4– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषाधिकारियों (वरिष्ठ

I/89862/2023

कोषाधिकारियों) हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं आई0एफ0एम0एस0 से संबंधित शासनादेश द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का समस्त कोषाधिकारियों/वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कोषागारों के संचालन के संबंध में निर्धारित कार्य दायित्वों का, यदि किसी अधिकारी द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं भविष्य में नियमानुसार उनकी कार्यक्षमता का आंकलन करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में भी कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

Signed by Surendra
Narayan Pandey
Date: 09-01-2023 20:02:05

(एस0एन0 पाण्डे)
सचिव।

संख्या– 89862/XXVII(6)/ई 46362/2023/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।